## नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 48 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (स्टाफनर्स) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में परिचर्या अधिकारी के पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

#### और

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली परिचर्या अधिकारी, समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,–
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है.
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर के तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन
				पद
(10	(2)	(3)	(4)	(5)
परिचर्या अधिकारी	560*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह	स्तर – 7 (44900-	लागू नहीं होता
	(2018)	"ख" अराजपत्रित,अन्नु	142400 रुपए)	
	*कार्यभार के आधार	सचिवीय		
	पर परिवर्तन किया जा			
	सकता है।			

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : फरव	री 3, 2018/माघ 14, 1939 285
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक
साव मता किए जान वाल व्यक्तिया के लिए आयु-सामा	और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
35 वर्ष से अधिक नहीं	(क)(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से नर्सिंग
35 वर्ष से अधिक नहीं  (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  िटप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(क)(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एस.सी. (आनर्स);  या किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान सेबी एससी नर्सिंग में नियमित पाठयक्रम;  या किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से पश्च आधारिक बीएससी नर्सिंग;  और (ii) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स,या नर्स और मिडवाईफ के रूप में रजिस्ट्री कृत हो;  या (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग और मिडवाईफरो में डिप्लोमा;  और (ii) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स,या नर्सऔर मिडवाईफ के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो;  और (iii) उपय नर्सिंग परिषद से नर्स,या नर्सऔर मिडवाईफ के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो;  और (iii) ऊपर (ख) (i) पर उल्लिखत शैक्षिक अर्हता अर्जन के पश्चात् न्यूनतम पचास शैय्या वाले अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव।  टिप्पणी 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।  टिप्पणी 2: अनुभव सम्बन्धी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिये जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुस्चित जातियों और अनुस्चित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित

रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों को अभ्यार्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की

संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति नियुक्तिया आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष टिप्पणः दो वर्ष की अवधि जिसमें दो सप्ताहों की अवधि का अनिवार्य प्रेरक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना भी सम्मलित होगा।	सीधी भर्ती द्वारा  टिप्पण 1: पदधारी के प्रति नियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्निलखित अधिकारियों में से प्रति नियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी;  (अ) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पदधारण कर रहे है। और  (आ) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अन्य अहिताए रखते है;  टिप्पण 2: प्रति नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रति नियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रति नियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उस की संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह "ख" विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:  1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष  2. मुख्य नर्सिंग अधिकारी/नर्सिंग अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य  3. उप-निदेशक प्रशासन,	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
	लेडी हार्डिग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य	

[फा. सं. ए-11018/03/2013/एमएच III/भाग II/सी] डॉ. रित बालाचन्द्रन, सहायक महानिदेशक (नर्सिंग)

### New Delhi, the 30<sup>th</sup> January, 2018

- **G.S.R. 48.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Suchetra Kriplani Hospital, New Delhi (Staff Nurse) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Suchetra Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1)These Rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Suchetra Kriplani Hospital, New Delhi, Nursing Officer, (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2018. (2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay	Whether selection post
			matrix	or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	560*(2018)	General Central	Level-7	Not applicable
Nursing Officer	*Subject to variation	Service, Group'B',	(Rs.44900 - 142400/-)	
	dependent on work	Non-Gazetted, Non-		
	load.	Ministerial.		

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 35 years.	(A)(I) B.Sc(Hons) in Nursing from a recognised University or Institute;
(Relaxable for Government servants upto five years in	or
accordance with the instructions or orders issued by	regular course in B.Sc Nursing from a recognised University or
the Central Government from time to time.)	Institute;
	or
<b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit	Post Basic B.Sc Nursing from a recognised University or
shall be the closing date for receipt of applications	Institute; and
from candidates in India and not the closing date	(II) registered as a nurse or nurse and mid-wife with State
prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal	Nursing Council;
Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	
Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir	or
State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-	(B)(I) Diploma in General Nursing and Mid-wifery from a
Division of Chamba District of Himachal Pradesh,	recognised Board or Council;
Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory Lakshadweep.	(II) registered as a nurse or nurse and mid-wife from State Nursing Council; and

(III) one year experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned at B(I) above.
<b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.
Note 2: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct
qualifications prescribed for		recruitment or by promotion or by
direct recruits will apply in the		deputation/absorption and percentage of the
case of promotees.		vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years.	By direct recruitment.
	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:  (A) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; and (B) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column(7).  Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing

In case of recruitment by	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the	Circumstances in which
promotion or deputation	composition	Union Public Service
or absorption grades from		Commission is to be
which promotion or		consulted in making
deputation or absorption		recruitment.
to be made		
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for	Consultation with the
	considering confirmation) consisting of:-	Union Public Service
		Commission is not
	(1) Additional Medical Superintendent,	necessary.
	Lady Hardinge Medical College and	
	Smt. Suchetra Kriplani Hospital,	
	New Delhi – Chairman	
	(2) Chief Nursing Officer or	
	Nursing Superintendent,	

	Lady Hardinge Medical College and Smt. Suchetra Kriplani Hospital,		
	New Delhi	- Member	
(3	) Nursing Adviser, Ministry of Health and Family Welfare	– Member	
(4	<ul> <li>Deputy Director Administration,</li> <li>Lady Hardinge Medical College and</li> <li>Smt. Suchetra Kriplani Hospital, New Delhi</li> </ul>	– Member	

[F. No. A. 11018/03/2013-MH III/Part II/C]

Dr. RATHI BALACHANDRAN, Assistant Director General (Nursing)

# नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया,नई दिल्ली में परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात,—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय, डॉ. राममनोहरलोहियाअस्पताल, नई दिल्ली (परिचर्या अधिकारी) समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति.,–
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्गों,भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।